



दिनांक 21.07.2021

प्रेस विज्ञप्ति 21/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद इटावा/थाना इकदिल

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 15 हजार रुपये नगद
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 21.07.2021 को थाना इकदिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सराय जलाल ओवरब्रिज के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त लालू उर्फ रंजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 15 हजार रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2021 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-लालू उर्फ रंजीत निवासी लालपुरा थाना इकदिल जनपद इटावा।

बरामदगी

1-लूट के 15 हजार रुपये नगद।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3-01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सिंधौली

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 21.07.2021 को थाना सिंधौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कटिया बुजुर्ग चौराहे के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त तेजराम उर्फ तेजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद शाहजहाँपुर के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिंधौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-तेजराम उर्फ तेजा निवासी दौलतपुर थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित 01 खोखा कारतूस।

जनपद बलिया/थाना भीमपुरा

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.07.2021 को थाना भीमपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इब्राहिमपट्टी नहर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बलिया, मऊ के विभिन्न थानों में रंगदारी, बलात्कार, गुण्डा एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2018 धारा 363/366/376 भादवि व 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भीमपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष निवासी डंगौली थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 34 हजार रुपये नगद, बैग, आधार कार्ड, डीएल आदि
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित 02 खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 21.07.2021 को थाना हाथरस गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हाथरस गेट क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1—सुनील उर्फ चोइया 2—सत्यप्रकाश उर्फ सत्ते 3—संदीप कुमार 4—शिवशंकर को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 34 हजार रुपये नगद, बैग, आधार कार्ड, डीएल आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुईं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.07.2021 को थाना हाथरस गेट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, बैग आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुनील उर्फ चोइया निवासी ढकपुरा थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।
- 2—सत्यप्रकाश उर्फ सत्ते निवासी ढकपुरा थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।
- 3—संदीप कुमार निवासी ढकपुरा थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।
- 4—शिवशंकर निवासी पट्टी बहराम मढ़ाका थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

- 1—लूट के 34 हजार रूपये नगद, बैग, आधार कार्ड, डीएल आदि।
- 2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित 02 खोखा कारतूस।
- 3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड/थाना बाबूगढ़

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 30 हजार 500 रूपये नगद
 - लूट के 02 मोबाइल फोन, बैग
- 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 20.07.2021 को थाना बाबूगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बाबूगढ़ क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—संदीप 2—सलीम घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार कर लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया। एक अन्य अभियुक्त फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 30 हजार 500 रुपये नगद, लूट के 02 मोबाइल फोन, बैग, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संदीप शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं। थाना बाबूगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की कई घटनाएँ कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटनाओं के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संदीप निवासी चिपियाना थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

2—सलीम निवासी बागवाला थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—लूट के 30 हजार 500 रुपये नगद।

2—लूट के 02 मोबाइल फोन, बैग।

3—02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा, 01 मिस कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 02 चार पहिया वाहन
- चोरी की 16 मोटर साइकिल
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 20.07.2021 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौर सिटी-2 पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान 03 शातिर अभियुक्तों 1-अंकित 2-सौरभ 3-अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 चार पहिया वाहन, चोरी की 16 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अंकित निवासी दयालपुर थाना मुरसान जनपद हाथरस।
- 2-सौरभ निवासी कनावनी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।
- 3-अभिषेक निवासी गुडिया टीकुर थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

- 1-चोरी की 02 चार पहिया वाहन।
- 2-चोरी की 16 मोटर साइकिल।
- 3-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद बहराइच/थाना मोतीपुर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटे गये 40 हजार 800 रूपये नगद, 02 अंगूठी
- 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 05 जीवित कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद

दिनांक 20.07.2021 को थाना मोतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पेटरहा नाला मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1-चिप्पा उर्फ सुन्दर 2-राममिन्तर उर्फ मिन्तर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 40 हजार 800 रूपये नगद, 02 अंगूठी, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 05 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त चिप्पा उर्फ सुन्दर के विरुद्ध जनपद लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 13 अभियोग, एवं अभियुक्त राममिन्तर उर्फ मिन्तर के विरुद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो मे हत्या का प्रयास, डकैती, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मोतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-चिप्पा उर्फ सुन्दर निवासी पचासा थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी।
- 2-राममिन्तर उर्फ मिन्तर निवासी पचासा थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

- 1-लूटे गये 40 हजार 800 रूपये नगद, 02 अंगूठी।
- 2-02 अवैध तमंचा 12 बोर, 05 जीवित कारतूस।
- 3-01 मोटर साइकिल बिना नम्बर।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के भारी मात्रा में सोने चाँदी के आभूषण
- घटना में प्रयुक्त आँटो आदि बरामद

दिनांक 20.07.2021 को थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूर्यनगर रोड शमशान घाट के पास से चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—दीपू उर्फ दीपक 2—भूरा उर्फ आकाश 3—आकाश 4—पुष्पेन्द्र उर्फ गुल्ला 5—मुन्नालाल 6—विष्णु कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में सोने चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त आँटो आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद सोने चाँदी के आभूषण आदि जनपद में पंजीकृत कई चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना टूण्डला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—दीपू उर्फ दीपक निवासी न्यू शिवनगर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
- 2—भूरा उर्फ आकाश निवासी न्यू शिवनगर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
- 3—आकाश निवासी न्यू शिवनगर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
- 4—पुष्पेन्द्र उर्फ गुल्ला निवासी न्यू शिवनगर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
- 5—मुन्नालाल निवासी जैन गली थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
- 6—विष्णु कुमार निवासी एमपी रोड नई बस्ती थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

- 1—चोरी के भारी मात्रा में सोने चाँदी के आभूषण।
- 2—घटना में प्रयुक्त आँटो आदि।

जनपद आजमगढ़ / थाना निजामाबाद

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
 - 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर
 - 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 20.07.2021 को थाना निजामाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फरिहा रेलवे स्टेशन के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मऊ, आजमगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र निवासी सरायसादी महजिदिया थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी

1—06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित 04 खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 20.07.2021 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचौण्डा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—अरूण उर्फ सन्तु उर्फ ऋषिपाल 2—अक्षय उर्फ बलवन्त घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—विकास सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित 04 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अरूण उर्फ सन्तु उर्फ ऋषिपाल के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त अक्षय उर्फ बलवन्त के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अरूण उर्फ सन्तु उर्फ ऋषिपाल निवासी टिटौडा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2—अक्षय उर्फ बलवन्त निवासी बिरालसी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3—विकास निवासी बदनौली थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

बरामदगी

- 1—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित 04 खोखा कारतूस।
- 2—01 मोटर साइकिल।

एस0टी0एफ0— जनपद कानपुर नगर के थाना क्षेत्र महाराजपुर पर पंजीकृत मुकदमें में वांछित रू0 25,000/— के इनामी अपराधी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 20-07-2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद कानपुर नगर के थाना क्षेत्र महाराजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 348/2017 धारा 286, 304, 308, 427 भादवि व धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 में वांछित रू0 25,000/— के इनामी अपराधी कल्लू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:—

1—कल्लू पुत्र जमील नि0 ग्राम सरसौल, थाना—महाराजपुर, जनपद कानपुर नगर।

गिरफ्तार स्थान दिनांक व समय:—

रामादेवी चौराहे के पास थाना क्षेत्र चकेरी दिनांक 20-07-2021 समय 23.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष-2017 में जनपद कानपुर नगर के थाना क्षेत्र महाराजपुर के ग्राम सरसौल में एक मकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भण्डारण किया गया था। जिसमें दिनांक 04-10-2017 को किसी कारण विस्फोट हो गया जिसमें काफी जान-माल का नुकसान हुआ था, जिस सम्बन्ध में थाना प्रभारी महाराजपुर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वर्ष-2020 में रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसमें वांछित कल्लू अभी भी फरार चल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक श्री अंजनी

कुमार तिवारी के नेतृत्व मु0आ0 विनोद सिंह, सुनील सिंह, प्रभाकर पाण्डेय आरक्षी विशाल व प्रशान्त की एक टीम द्वारा कानपुर नगर में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कल्लू रामादेवी चौराहे पर मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ उक्त स्थान से वांछित कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू ने पूछताछ पर बताया कि उसका परिवारिक व्यवसाय पटाका व आतिशबाजी सामान बनाने का था। वर्ष—2017 में यह लोग बाबू सिंह का मकान किराये पर लिए थे, जिसमें इन लोगो द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से बिना लाइसेन्स के विस्फोटक सामग्री का भण्डारण किया गया था, जिसमें विस्फोट हो गया था। विस्फोट के कारण बाबू सिंह का मकान ध्वस्त हो गया तथा अगल—बगल के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये जिसमें 02 लोगों की मौके पर मृत्यु भी हो गयी थी व अन्य कई लोग गम्भीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद सभी लोग फरार हो गये थे जो बाद में गिरफ्तार हो गये तथा यह भागकर तमिलनाडू चला गया था, अभी वहाँ से वापस आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को थाना—महराजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 348/2017 धारा 286, 304, 308, 427 भादवि व धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 में दाखिल किया जा रहा है अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी। इसके अपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी की जा रही है।
